न्यायालय लेण्डरिकोर्ड एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 25/2021
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 05.03.2021
निर्णय दिनांक : 19.03.2026

अनवान

1– उदयलाल पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
2– घनश्याम पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
3– मेहताबी पत्नि सुन्दरलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
4– शंकरलाल पिता गणेशलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद फौत
4/1 भेरूलाल पिता शंकरलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
4/2 पुरणमल पिता शंकरलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
4/3 जगदीशचन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
4/4 दिनेशचन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
4/5 रेखा पिता शंकरलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
4/6 गीताबाई पिता शंकरलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

बनाम

1– कमलेश पुत्र भैरू जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
2– जमनालाल पुत्र भैरू जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
3– देवीलाल पुत्र भैरू जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
4– पारसबाई पुत्री भैरू जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
5– मांगीबाई पुत्री भैरू जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
6– हमेरी पत्नि भैरू जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
7– किशन पुत्र गांगा जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
8– तुलसीराम पुत्र गांगा जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
9– हीरी पत्नि गांगा जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
10–माधु पुत्र गांगा जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
11–गोरधन पुत्र शंकर जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
12–सुहागी पत्नि शंकर जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
13–लहरू पुत्र गोटु जाति रावत, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
14–उषादेवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति व्यास निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
15–राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत्</u>

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री रोशनलाल साहू
अधिवक्ता श्री राकेश कुमार सनाढ्य

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी, आधिपत्य की भूमि ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा के आराजी नम्बर 2921 स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 2915, 2920, 2923, स्थित है। प्रार्थीगण के विपक्षीगण पडौसी है

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

किन्तु आये दिन मौके पर सीमा नष्ट करते रहते है इसी वजह से मौके पर आये दिन भूमि के सीमांकन को लेकर झगडा फसाद होता रहता है, उक्त विवाद समाप्त कराये जाने हेतु मौके पर पत्थर गढी कराया जाना आवश्यक है ताकि विपक्षी एवं प्रार्थी के मध्य बाड को लेकर मौके पर कोई विवाद पैदा नही होवें। मौके पर आये दिन डिर्माकेशन को लेकर पक्षकोरो के मध्य विवाद होता रहता है विवाद को समाप्त करने के लिए यह यही न्यायोचित होगा कि मौके पर पक्षकारों के मध्य भूमि कि नपती करायी जावे एवं नपती करने के बाद मौके की स्थिति के अनुसार मीनार लगाई जावे ताकि प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य भविश्य मे इस प्रकार की विवाद उत्पन्न नही होवें।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 मे किया गया है, जिसके पडौस मे विपक्षीगण की भूमियो के मध्य स्थाई सीमांकन चिन्ह (पत्थरगढी) कराई जावे एवं मौके पर मीनारबन्दी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण संख्या 01 से 13 बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीगण संख्या 14 की और अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी से प्रार्थीगण खातेदार होना जाहिर हैं एवं विपक्षीगण द्वारा भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया हैं वैसे भी प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में पत्थरगढी करने पुर्ण अधिकार है जिसे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र का स्वीकार किया जाने का योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम रेलमगरा में प्रार्थी की आराजी नम्बर 2921 भूमि में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाते है, आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत उक्त भूमि की पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस समयावधि के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें । वक्त पत्थरगढी प्रार्थी कमिश्नर शुल्क 1000/- रूपये नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। आदेश की प्रति तहसीलदार रेलमगरा को भेजी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय मे आदेश मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
लेण्ड रिकोर्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा